तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
10/12/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस के पश्चात हस्तगत प्रकरण में स्वीकार्य है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम जादरी के खसरा नंबर 70 में आवा-गमन के लिए रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि के खसरा नंबर 73 में से नवीन रिकॉर्डेड रास्ता चाहा है। तहसील-दार बाली द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार उक्त रास्ता में तकरीबन 192 वर्गमीटर राजकीय सिवायचक भूमि प्रभावित होगी। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम 2012 के नियम 69 के स्पष्ट प्रावधान है कि खातेदार को अत्यांतिक आवश्यकता होने पर ही रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध करवाये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश दिया जा सकेगा। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि के खसरा नं. 73 में से नवीन रिकॉर्डेड रास्ता चाहा है। परन्तु राजकीय सिवायचक भूमियो में से किसी खातेदार को अपने जोत/खेत तक पहुंचने के लिये आवागमन इत्यादि के प्रयोजन से नही रोका जाता है। तहसीलदार बाली की रिपोर्ट पत्रांक :- राजस्व/2024/2134 दिनांक 09-10-24 के बिन्दु संख्या 02 से भी सिद्ध होता है कि प्रार्थी खातेदार अपनी जोत में आने जाने हेतु इसी खसरा नंबर 73 की सिवाय-चक भूमि का निर्विवाद उपयोग करता आ रहा है। इस प्रकार प्रार्थी खातेदार को राजकीय सिवायचक भूमि में से रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध करवाने की अत्यांतिक आवश्यकता सिद्ध नही होती है। साथ ही प्रार्थी के आवेदन स्वीकार किये जाने पर	

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बाली

P.T.O.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज
	खसरा नं. 73 (सिवायचक भूमि) का रकबा भी कम होगा। अत: राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम जादरी के खसरा नंबर 73 से रास्ता दिया जाना न्यायसंगत नही होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251 ए खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली